न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टीए/1759/2003/अजमेर

1- शंकर सिंह
2- हरि सिंह
3- विजय बहादुर सिंह
4- किशन सिंह
5- बृजराज सिंह
6- गजराज सिंह
समस्त पुत्रान सज्जन सिंह
7- मूल सिंह पुत्र रामसिंह
8- हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह
समस्त जाति राजपूतान, निवासी गांव देवखेड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

...अपीलान्टस

बनाम

1- लक्ष्मण सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत निवासी देवखेड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
2- रणवीर सिंह पुत्र महावीर सिंह
3- नाथू सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
4- राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
5- महेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
6- जसवंत सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी देवखेड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
7- राजस्थान सरकार

...रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः-
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस।
श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः- 25.02.2025

यह अपील अपीलान्टस द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 129/2002 बउनवानी लक्ष्मणसिंह

बनाम शंकरसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 54 व 188 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवखेड़ी तहसील केकड़ी में स्थित वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी भूमि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। वादीगण के पिता स्व0 सज्जन सिंह की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 19, 20, 47, 49, 57, 455, 456/2, 513, 535/2, 554, 618, 627, 629, 506 मिन, 507 कुल किता 15 कुल रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा थे। खाता संख्या 63 के खसरा संख्या 545/2 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 544 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 94/2 के खसरा संख्या 548/2 मिन रकबा 42 बीघा भूमि है। उपरोक्त खसरा संख्या के अलावा अन्य संयुक्त खातेदारान के साथ अन्य खातेदारान में रेस्पो0 राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, जसवंत सिंह है। इनमें से लक्ष्मण सिंह के पुत्रान राजेन्द्र सिंह वगैरह का 1/10 हिस्सा है शेष का 9/10 हिस्सा के खातेदार अपीलांट के पिता थे। इस भूमि के अलावा जो अन्य खसरा नंबरान वादीगण के पिता सज्जन सिंह एक्सक्लूजीवली खातेदार थे। सज्जन सिंह का स्वर्गवास होने पर उनके द्वारा धारित समस्त भूमि उनके पुत्रान अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 पर बहिस्सा बराबर-बराबर धारित हुई। खाता संख्या 65 में सम्मिलित खसरा नंबरान के कुल रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा में प्रत्येक वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण 1/9 हिस्से के संयुक्त खातेदार है और खाता संख्या 63, 64 व 94/2 में सम्मिलित खसरा नंबरान में सज्जन सिंह के पुत्र व पौत्र प्रत्येक का 1/10 हिस्सा है। सज्जन सिंह का स्वर्गवास होने पर उनके द्वारा धारित उपरोक्त कृषि भूमि उनके सभी वारिसान पर बहिस्सा बराबर धारित हुई। प्रतिवादीगण एवं वादीगण इसी अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार बंटवारा करके रिकार्ड में अलग-अलग दर्ज कराने हेतु कहा जाने पर प्रतिवादीगण ने मना करने पर बंटवारे के लिए यह दावा प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद कथनों से इंकार किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.2002 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2003 द्वारा स्वीकार करते हुए वाद में नए सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3- हमनें उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकीयात कायम किए जाने से प्रथमदृष्ट्या यह सिद्ध है कि अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय आदेश 41 नियम 25 के अनुसार दिया है। आदेश 41 नियम 25 के तहत अतिरिक्त तनकीयात कायम किए जाने के साथ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने का अधिकारी नहीं था। यदि वाद के निर्णय के लिए दो तनकीयात कायम करने की आवश्यकता थी तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को केवल इन तनकियों पर साक्ष्य लेने हेतु एवं बाद साक्ष्य विचारण न्यायालय को अपनी टिप्पणी या निर्णय के साथ पत्रावली वापिस विचारण न्यायालय को ही लौटाने का आदेश देना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर अपना निर्णय पारित करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पिता भंवर सिंह ने तनकीयात कायम किए जाने के बाद ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5 के तहत प्रस्तुत नहीं किया कि जो तनकीयात कायम की गई है, वह वाद को निर्णित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने एक्जीस्टिंग राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपना निर्णय व डिक्री पारित की थी। रेस्पो0 संख्या 1 के पिता ने सज्जन सिंह के स्वर्गवास होने पर जब उनके द्वारा धारित कृषि भूमि का नामांतकरण सज्जन सिंह के सभी वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया तब अपने एजराज या उज्र पेश नहीं किए और ना ही रेस्पो0 की ओर से इस आशय का कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय ने जो भूमि वादीगण/अपीलांट ने अपने वाद में सम्मिलित नहीं की उस भूमि को सम्मिलित करने का परीक्षण न्यायालय को आदेश देकर वाद को नए सिरे से निर्णय करने का आदेश देकर कानूनी त्रुटि कारित की है। प्रतिवादी/रेस्पो0 लक्ष्मणसिंह ने कोई ऐसा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जावें कि सज्जन सिंह के पास जो भूमि थी उसके बदले सज्जन सिंह ने अपने अन्य पुत्रान अपीलांट सहित अन्य भूमि दे दी थी एवं सज्जन सिंह के पास जो भी भूमि थी उसमें से उन्होंने उनका स्वत्व अधिकार समाप्त कर दिया था। अपीलीय न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2003 निरस्त किया जावें तथा अपील पुनः गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें।

5- योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । आगे कथन किया कि जागीरदार सज्जन सिंह ने अपने जीवनकाल में उनके समस्त पुत्रों के मध्य अपनी चल व अचल संपत्तियों का विभाजन कर दिया था, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट था किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का

अवलोकन किए निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है, जिसे निरस्त कर अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। भंवरसिंह जो सबसे बड़ा पुत्र था, वह अपने पिता सज्जनसिंह के साथ रहता था एवं उसे अलग से कोई भूमियां नहीं दी गई है। अतः सज्जनसिंह की मृत्यु के उपरांत उसके खाते में दर्ज समस्त आराजीयात भंवरसिंह के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सज्जन सिंह की आराजीयात उसके समस्त 9 पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी, इस गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण दुबारा विभाजन करवाकर इन भूमियों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते है। अधी0न्याया0 ने अपंजीकृत दस्तावेजों को अस्वीकार करते हुए केवल वर्तमान राजस्व रिकार्ड पर विश्वास कर विवादित भूमियां सहकाश्तकारी की मानते हुए विभाजन करने के आदेश दिए उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया और ना ही कोई तनकी कायम की क्या सज्जनसिंह ने अपने आठों पुत्रों को पूर्व में अलग-अलग भूमियां दे दी थी। परीक्षण न्यायालय ने बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किए एवं बिना उन पर कोई विवेचन किए निर्णय पारित किया था इसी कारण अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1976 एससी पेज 807, आरआरटी 2019 (1) पेज 14 एससी आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

6- हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 54 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.2002 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील पेश कर कथन किया कि जागीरदार सज्जनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही उनके समस्त पुत्रों के मध्य अपनी चल व अचल सम्पतियों का विभाजन कर दिया था । प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह जो सबसे बड़ा पुत्र था वह अपने पिता श्री सज्जनसिंह के साथ रहता था एवं उसे अलग से कोई भूमियां नहीं दी गई थी । अतः श्री सज्जनसिंह की मृत्यु के उपरांत उसके खाते में दर्ज समस्त आराजियात श्री भंवरसिंह के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु

राजस्व कर्मचारियों ने उत्तराधिकार अधिनिमय के अनुसार सज्जनसिंह की आराजियात उसके समस्त पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी है एवं इस गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण दुबारा विभाजन करवाकर इन भूमियों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते है । प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के अतिरिक्त कथन में विस्तार से यह बताया कि किस-किस पुत्र को कौन-कौन से खसरा नंबर पूर्व में दिये गये है । इस जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को यह तनकी बनानी चाहिये थी कि-''क्या श्री सज्जनसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी पैतृक कृषि भूमियों का अपने पुत्रों के मध्य विभाजन कर दिया था ।'' यह तनकी कायम नहीं किए जाने से प्रतिवादी यह तथ्य साबित नहीं कर पाया कि वादीगणों को पूर्व में अलग से भूमियां दे दी गई थी । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने प्रतिवादी लक्ष्मणसिंह/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 की अपील अपने निर्णय दिनांक 13.02.2003 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वह प्रकरण में अतिरिक्त तनकीयात कायम करे कि-''क्या श्री सज्जनसिंह ने अपने जीवनकाल मे श्री भंवरसिंह के अतिरिक्त शेष आठों पुत्र को प्रतिवादी संख्या 1 श्री लक्ष्मणसिंह के जवाबदावे के अतिरिक्त कथन के अनुसार पूर्व में ही कृषि भूमियां देकर अलग कर दिया था एवं अब विचाराधीन आराजियात में इन शेष भाईयां का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं है ।'' यह भी निर्देश दिये कि इस अतिरिक्त तनकी को निर्णित करते समय यह भी देखा जाये कि श्री सज्जनसिंह के नाम कुल पैतृक कितनी कृषि भूमियां दर्ज थी, उसका विभाजन उसने अपने पुत्रों के मध्य कितना-कितना किया है एवं उन्हें क्या दी गई भूमियां उनके नाम खातेदारी से दर्ज हुई है । विभाजन में दी गई उक्त भूमियों को शामिल करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी भाईयों को बराबर हिस्सा दिलवाया जावे । इसके अतिरिक्त दूसरी तनकी यह बनाई जावे कि ''क्या श्री विजय बहादुरसिंह अपने नाना के यहां तहसील उनियारा में गोद चला गया है एवं अब उसका विवादित भूमियों में कोई हक व हिस्सा नहीं रह गया है ।'' प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

8- परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.2.2003 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष